

128/16-17

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख याद संख्या-

128/16-17

याद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजलूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा-....., थाना-....., खाता संख्या-....., प्लॉट संख्या-....., रकबा-....., एकड़ की भूमि जो गैरमजलूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या-..... के पृष्ठ संख्या-..... पर जमाबंदी रयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति करित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना बांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-12/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अधिकारी

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :- महसूद व मरहूम

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा थाना सं० खाता सं० प्लॉट सं०

रहेमा 846 53 117
832A

एकड़

2.03

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं० :- 65 पर कायम है -

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है -

2012-13

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि पर धारदार का नाम :-

6. किस सक्षम प्राधिकार/बदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :-

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :-

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवेध गृहदोबस्ती -

119/2002-13

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र० संख्या

7

लगान रसीद संख्या

4736367

रसीद निर्गत तिथि

19/3/11

वसूली वर्ष

2012-13 + 2011-12

Amal

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपर्युक्त किया गया। प्रतिवादी-पथ- अनुपस्थित। अतः पुनः क्षीण बोरील निर्गत रहे, जिस की तिथि का रहे। अ. शर्मा प्रतिवादी	

पर की
के बारे
में

आदेश की क्र०स० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-रहेया में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-53, प्लॉट सं०- 117A/832 कुल रकबा 2.03 ए० पर मालदेव महतो पिता देवकी महतो के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा० सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं० 110/2002-03 के अन्तर्गत दिनांक 28.09.2002 को मौजा-रहेया, थाना नं०-345 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-53, प्लॉट सं०- 117A/832, रकबा 2.03 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत मालदेव महतो देवकी महतो के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा रहेया के मांग पंजी II के पेज सं० 65/II पर दर्ज होकर वर्ष 2011-12 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्रवाई.....<u>समाप्त</u>.....की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। <u>3</u> 03/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू। <u>3</u> 03/11/2025 अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में

अंगल अधिकारी
मनाह, पलायन ।

विषय: अर्बेध/खरेहास्प/अमावती सं. 128/2016-17
अ जांच प्रिमेडन ।

महाराज,

उपलब्ध विषय के संदर्भ में कहना है कि-

मौजा खेला में आकर राजस्व आगजात एवं नम्मा

का मिलान ठीके अंगल अतीत के खाल ब्लॉक

आंच किया । आंच में पलायन कि 10 लाख खाल 53

एकैर सं. 117A/832 कुल खाल 2.03 एं पर

मालदेन महाराज पिता देवरी महाराज के द्वारा जोत-को

किया जा रहा है । उनके द्वारा आंच के दौरान वडोवल्ली

पत्नी एवं निर्गत ब्लॉक प्रमुख किया गया है जिससे

पता चलता है कि अनार पदा के वडोव वर सं.

110/02-03 के अनारगत दिनांक 28/09/2002 को मौजा

खेला-पानाग 345 के अनारगत 345 खाला सं.

53 एकैर सं. 117A/832 खाल 2.03 एवं वडोव

844 रंगत मालदेन महाराज पिता देवरी महाराज के

नाम से हुआ है, जिसका अमावती मौजा खेला

के मांग पंजी 1 के पेज नं 88/1 पर रज हो कर

वर्ष 2011-12 तक ब्लॉक निर्गत हो रहा है। इस

प्रकार 345 अमावती खरेहास्प/अर्बेध प्रती नहीं

होता है। अतः 844 अमावती अर्बेध अमावती से

मुख्य किया जा सकता है।

(ह)

विश्वोत्तमान
चौधरी उमर
वर 30 दि

कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीगंज जिला पलामू

गैर मजदूरा आम/मालिक भूमि की बन्दोबस्ती कृषि/आवास के लिये

बन्दोबस्ती केश संख्या- 110/02-03

परवाना संख्या- 6

बन्दोबस्तधारी का नाम मालदेव महतो

पिता का नाम देवही महतो

ग्राम रहीमा

थाना मगान

जिला पलामू

बन्दोबस्ती की गयी भूमि का विवरण

ग्राम	खाता न०	खोसरा न०	रकबा	चौहदी	लगान
रहीमा	53	1174	2.03	30 फारलो बुँदा	16 अ०
345		832		अलादे सेस	प्रतिवर्ष
				प० उल्लाम महतो	अलादे सेस
				प० सियावा माला	वगैरह

बन्दोबस्ती की शर्तें

उपरोक्त जमीन निम्नांकित शर्त के साथ बन्दोबस्त की जाती है।

- बन्दोबस्तधारी बन्दोबस्ती की लगान भूमि का दरखल भुज्जा नापी कराकर अंचल अधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
 - बन्दोबस्तधारी लगान एवं सेस वगैरह नियमित रूप से प्रतिवर्ष अदाय करेंगे/लगान बन्दोबस्ती के वर्ष से देय होगा।
 - बन्दोबस्त की गई जमीन भिन्नसत के होंगी किन्तु किसी भी प्रकार से इसका हस्तानान्तरण वैध नहीं होगा।
- बन्दोबस्त भूमि की सारिथ्य वित्त अनुसूचित बैंक के पास केवल बन्धक रखा जा सकता है।

परवाना तैयार करने वाले का हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी

अनुमंडल पदाधिकारी

24-9-2002

180V

Sch. XIV-F.No. 180V

जिला का नाम पल्लार

अनुमण्डल का नाम जेदगीगार

अंचल का नाम मना

नाम सर्कल। नाम मौजा मय रन्हेय।

थाना वो थाना नम्बर

V

रसीद मालगुजारी

फरद मालकी/फरद रैयती

नाम रैयत मय वल्लियत जमाबन्दी

वो सकुनत नम्बर। JB

41

4965367

PN 65
II

खाता संख्या	खेसरा संख्या
53 7 लो 2	-117A/832 र 707 62-03-28

अराजी नकदी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली

मालदेव महारा 8/0 द व की महारा

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबद	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	
माल } (नकदी)	16.00				160.00	16.00
गुजारी } (भावली)	4.00				40.00	4.00
सेस	8.00				80.00	8.00
*सूद	8.00				80.00	8.00
मुतफरकात	4.00				40.00	4.00
मीजान	40.00				400.00	40.00

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबद	तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष	2रा वर्ष	1ला वर्ष	2011/12	
					मोतालबा हाल	फाजिल
माल } (नकदी)				160.00	16.00	100.00
गुजारी } (भावली)				40.00	4.00	
सेस				80.00	8.00	
*सूद				80.00	8.00	
मुतफरकात				40.00	4.00	
मीजान अदायकारी				400.00	40.00	440.00

(1) मीजान कुल (लफजों में)

(2) नाम देहिन्दा - रन्हेय

(3) कुल बकाया-

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय
वाद अभिलेख संख्या128...../2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम मालदे व महारा-40 देवकी महारा

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा24/11/16 धाना नं०.....
खाता नं०.....53 खेसरा नं०.....117 रकबा 2.03/8 से संबंधित आपके नाम से हो० नं०.....
पंजी भाग के पृष्ठपर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं व
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूर्ष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जाएगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

तिथि :

मुहर

स्थान :

अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
भवन, पता